143

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

रामकली पत्नी श्री रामप्रसाद सोंधिया, उम्र– 58 वर्ष, पेशा– गृहकार्य, निवासी ग्राम छिजबार, तह0 हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) ....**निगरानीकर्ता/आवेदिका**

401
22.7.14

R - 2505 - III/14

बनाम

1. शासन म0प्र0
2. रामबाई साकेत उम्र– 60 वर्ष
3. लौकेश प्रसाद उम्र– 35 वर्ष
4. मिथिलेश प्रसाद उम्र– 33 वर्ष
5. राम कुमार उम्र– 28 वर्ष
6. शिव कुमार उम्र– 26 वर्ष

क. 2 ता 6 के पिता स्व0 श्री रामविश्वास साकेत निवासी छिजवार, तह0 हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) ------------------**गैर निगरानीकर्ता/अनावेदकगण**

द्वारा आज दिनांक 22/7/14 को प्रस्तुत किया गया।

22.7.14

क्रमांक 2504 सर्किट कोर्ट रीवा

द्वारा आज दिनांक ________ को प्राप्त

मान्यवर,

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर रीवा के प्रकरण क. 14अ6 सा0 निगरानी 2012–13 के आदेश दिनांक 30.06.14 के विरुद्ध।

अपील अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959ई0

<u>निगरानी के संक्षिप्त स्वरूप निम्नानुसार है:–</u>

यह कि ग्राम छिजवार, तह0 हुजूर जिला रीवा की भूमि आवेदिका ने वर्ष 2002 में स्व0 रामविश्वास के विधिक वारिसानों अना0क0 2 ता 6 द्वारा आ0नं0 158/2 रकवा 0.809 हे0 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 1,75,000/– रुपये में क्रय किया था तथा 2002 में उक्त मकान व भूमि पर घर बनाकर आबाद हैं तथा शेष भाग पर शासकीय अनुदान प्राप्त बृक्षारोपण है, ट्यूब वेल भी है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर न्यायालय नायब तहसीलदार तह0 हुजूर द्वारा राजस्व प्र.क. 10अ6/2002 दिनांक 24.12.02 में विधिवत विवेचना कर आवेदिका के नाम नामांतरण कर दिया। नामांतरण के बाद आवेदिका पक्का मकान बनाकर आबाद है। रामकरण सोनी द्वारा झूठी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में 2013 में की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.2505–III/14 जिला–रीवा

रामकली सोंधिया/शासन, रामबाई साकेत

(1)	(2)	(3)
26.04.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. अनावेदकगण सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 4. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 5. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	